बाल अपचारियों के भागने के मामले में चार कर्मचारी सहित पांच लोग गिरफ्तार

बाल अपचारियों के फरार होने में सुधार गृह प्रशासन की मिलीभगत सामने आयी

- पुलिस ने फरार हुए छह बालअपचारियों को पकड़ा
- गैंगस्टर लॉरेंस के बीकानेर निवासी शूटर की तलाश में एस.ओ.जी. व एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सहित पुलिस की अलग-अलग टीमें जुटी
- बाल अपचारियों ने पिछले दस दिन में टीवी की आवाज चलाकर खिड़की काटने के काम को अंजाम दिया था।

जयपुर। राजधानी की टांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने सेठी कॉलोनी में बाल (किशोर) सम्प्रेक्षण गृह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सहित 23 बालअपचारियों के भागने के मामले में चार कर्मचारियों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में सामने आया कि बाल अपचारियों के भागने की पूरी योजना में बालसुधार गृह प्रशासन की मिली भगत रही है। उनकी मिलीभगत से ही बालअपचारियों तक कटर मशीन पहुंचाई गई। इसके बाद टीवी चलाकर रोजाना थोड़ा-थोड़ा खिडकी को काटा गया।

डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में संप्रेक्षण गृह के दो गार्ड, दो केयर टेकर व एक भागने वाला बालअपचारी है। बाल अपचारी 3 फरवरी को ही 18 वर्ष हो गया। केयर टेकर व गार्डों की भूमिका संदिग्ध है और वारदात में उनकी मिलीभगत के साथ लापरवाही भी सामने आई है। सम्प्रेक्षण गृह से सोमवार तड़के 23 बालअपचारी कटर मशीन से लोहे की खिड़की काटकर भाग गए थे। खिड़की काटने के काम को पिछले दस दिन में अंजाम दिया गया है।

डीसीपी यादव ने बताया कि तीन और बाल अपचारियों को जयपुर शहर से पकड लिया गया है। इनमें एक सोडाला, संजय सर्किल व एक को अन्य स्थान से पकडा गया है। घटना के बाद से मंगलवार शाम तक छह बालअपचारियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें एक बालअपचारी को उसके घर वाले लेकर आए थे।

गैंगस्टर लॉरेंस के बीकानेर निवासी शूटर की तलाश में अलग-अलग टीम लगी है। एसओजी व पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी शूटर बालअपचारी की तलाश में लगी है। शूटर बालअपचारी से संबंधित कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें बीकानेर व हरियाणा भी भेजी गई है। अभी भागे हुए कुल 17 बालअपचारियों की तलाश है। फरार हुए बाल अपचारियों में 8 पर दुष्कर्म और 13 पर हत्या के प्रयास का केस चल रहा है, जबकि एक पर हत्या का मुकदमा दर्ज है।

पुलिस की पकड़ में आए बालअपचारियों ने पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस के बीकानेर निवासी शूटर बालअपचारी ने ही भागने की साजिश रची थी। शूटर बालअपचारी ने अपनी गैंग बना ली थी। उसकी बालअपचारियों की पूरी गैंग उसके साथ भाग गई थी। पकड़ा गया एक बालअपचारी उसकी गैंग का सदस्य बताया जाता है। गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग वसूली के लिए नाबालिग को शूटर के रूप में काम में लेती है। ताकि पुलिस की पकड़ में आने के बाद उसे सजा न हो सके। गैंग में शामिल कई नाबालिग पहले भी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस तस्दीक कर रही है कि लोहे की खिड़की काटने के लिए कटर मशीन बालअपचारियों तक किसने पहुंचाई। कटर मशीन देकर जाने वाले कौन लोग थे। सम्प्रेक्षण गृह में लगे 16 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सम्प्रेक्षण गृह में बंद बालअपचारियों को दी जाने वाली हर वस्तु की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी जुल्फीकार ने बताया कि निवाई निवासी गार्ड लादूलाल सैन, दौसा के सिंकदरा निवासी गार्ड मानसिंह गुर्जर, गलता गेट निवासी केयर टेकर दीपक मल्होत्रा व इन्द्रमल सांवरिया को गिरफ्तार किया। वहीं सम्प्रेक्षण गृह से भागने के मामले में बालिग हुए दिल्ली निवासी चिराग मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया। मामले में अधीक्षक मनोज गहलोत, क्राफ्ट टीचर इंद्रमल सांवरिया को सस्पेंड कर दिया है।

बाल अधिकारिता विभाग के एडिशनल डायरेक्टर मुकेश मीणा ने बताया कि बाल सुधार गृह से लगातार बाल अपचारियों के भागने की घटनाएं सामने आने के बाद अब विभाग एक्शन में आ गया है। बाल सुधार गृह की सुरक्षा में 21 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं सुरक्षा में तैनात दोनों गार्डो को सस्पेंड कर दिया गया है।

युवक से एक करोड़ रु.ठगे

जयपुर। शिप्रापथ थाना इलाके में टोल का टेंडर दिलाने के नाम पर युवक से एक करोड रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार गोपालपुरा लालकोठी निवासी शंकर कुमावत ने मामला दर्ज करवाया कि टोल का टेंडर दिलाने के नाम पर अभिषेक और उसके दोस्तों ने उससे एक करोड रुपए ले लिए। लेकिन रुपए लेने के बाद भी उसे टोल का टेंडर नहीं दिलवाया और ना ही अब आरोपी रुपए वापस कर रहे है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मोबाइल-पर्स लूटने वाली गैंग पकड़ी

जयपुर । मानसरोवर पुलिस ने राह चलती महिलाओं से मोबाइल और पर्स लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश करते मुख्य सरगना सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण योगेश गोयल ने बताया कि मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राह चलती महिलाओं से मोबाइल और पर्स लूटने वाली गैंग के गौरव डारा निवासी बोरावड जिला नागौर हाल वैशाली नगर और विजय राणा निवासी मौलासा जिला नागौर हाल वैशाली नगर को गिरफ्तार किया है।

महापौर और आयुक्त ने ली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक

हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक ली।

जयपुर । हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक ली। उन्होंने पूर्व में घोषित वेंडिंग जोनो के प्लान का अनुमोदन किया और सदस्यों से नए वेंडिंग जोन के लिए सुझाव मांगे। कमेटी के सदस्यों को साथ लेकर स्ट्रीट वेंडर सर्वे अल्प अवधि के लिए पुन: चालू करने पर सहमति दी। महापौर मुनेश गुर्जर ने स्ट्रीट वेंडर कमेटी के सदस्यों को शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं नॉन वेंडिंग जोन तथा वेंडिंग जोन पर विस्तार से चर्चा की। महापौर मुनेश गुर्जर ने बताया कि सभी थड़ी व ठेले वाले अपनी दुकानों के पास गीले व सूखे कचरे को फेंकने के लिए डस्टबिन रखें। बैठक में उपायुक्त मनीषा यादव, जिला परियोजना अधिकारी अमित शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक शशिकांत शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल, एडीसीपी ज्ञान प्रकाश नवल, उपायुक्त सतर्कता एस.के.मेहारानियां, निरीक्षक सतर्कता मोहनलाल मीणा, टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य सुनील कुमार यादव, दुलीचंद शर्मा, कैलाश नारायण शर्मा, सतपाल सिंह, पूजा, शब्बीर, बनवारी लाल, नाथू सिंह राठौड़, रेनू शर्मा, गीता देवी व राजेंद्र करोरा मौजूद थे।

नीमेडा में जो सड़क पी.डब्ल्यू.डी. बना रहा, उसी पर डामर करने को उतारू हुआ जे.डी.ए. प्रशासन

अजमेर रोड पर ग्राम नीमेडा में सड़क बनाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. ने शिलान्यास पट्टिका लगाकर बाकायदा मोरम तक बिछा दी थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर धांधली कर धन का किस तरह दुरुपायोग करने में लगे हुए हैं, उसका ताजा उदाहरण मंगलवार को अजमेर रोड स्थित ग्राम नीमेडा में देखने को मिला। यहां पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से बनाई जा रही सड़क को बनाने के लिए जे.डी.ए. के इंजीनियर उतारू हो गए। स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद जेडीए के उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सड़क बनाने का काम रुकवाया।

- आनन-फानन में जे.डी.ए. जोन-12 के इंजीनियर्स ने इस मोरम पर प्रीमियर किया और डामर डालने की तैयारी थी
- स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यह मामला जे.डी.ए. के उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा तो मौके पर काम बंद हुआ

जानकारी के मुताबिक जेडीए के जोन-12 के अजमेर रोड पर नीमेडा ग्राम में सड़क बनाने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने शुरू किया था। यहां पर शिलान्यास पट्टिका लगाकर पी.डब्ल्यू.डी. ने मोरम बिछा दी थी और अब डामर डालने की तैयारी थी। इस बीच यह सड़क बनाने के लिए जे.डी.ए. के जोन-12 के सहायक अभियंता ने बजट पास करवा लिया। उन्होंने पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बिछाई गई मौजूदा मोरम पर ही बिना डब्लू.एम.एम. किए डामर बिछाने की तैयारी कर ली। इसके लिए प्राइमर भी बिछा दिया। इसकी भनक जैसे ही स्थानीय निवासियों को लगी तो उन्होंने जेडीए के जोन डायरेक्टर इंजीनियरिंग मनोज सोनी और अधीक्षण अभियंता रामप्रसाद को इसकी सूचना दी और मौके पर जाकर विरोध शुरू कर दिया था।

जानकारी मिलने के बाद जेडीए के अधिकारी तुरंत एक्शन में आए। जेडीए के अधीक्षण अभियंता रामप्रसाद ने एक्सईएन मनोज दुबे को काम रोकने के निर्देश दिए। साथ ही खुद मौके पर जाकर स्थिति चैक करने को कहा। उन्होंने एक्सईएन से पूछा कि जब पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बनाने का काम कर रहा है तो जे.डी.ए. जबरन इस काम को करने पर क्यों रूचि दिखा रहा है? यह सीधा सीधा जेडीए के धन का दुरुपयोग है, जो नहीं किया जाना चाहिए। उच्चाधिकारियों की फटकार के बाद जोन-12 के इंजीनियर्स ने मौके पर काम बंद किया।

मजेदार बात यह है कि जे.डी.ए. जोन 12 में दो सहायक अभियंता है। इनमें मंगलवार को एक सहायक अभियंता अवकाश पर था। जेडीए में नियम है कि एक अभियंता प्लांट पर होता है और दूसरा मौके पर रहता है जिससे काम की क्वालिटी बनी रहे। मंगलवार को जोन में एक ही सहायक अभियंता था, ऐसे में काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होनी थी।

सूत्रों की मानें तो नीमेडा में सड़क बना कर एक ही काम का दो बार बिल उठाने की तैयारी थी, जिसे स्थानीय निवासियों ने विफल कर दिया। यहां पर पीडब्लूडी ने टेंडर कर अधूरी सड़क बना ली थी। इसके बाद जेडीए के जोन 12 में सहायक अभियंता ने ठेकेदार को बिना डब्लूएमएम के सीधे ही डामर करने के निर्देश दे दिए थे। इसमें पीडब्लूडी और जेडीए के ठेकेदार की भी मौज होने वाली थी। वो एक ही काम का दो बार बिल उठा लेते।

बंगले से 50 लाख के जेवरात चोरी

जयपुर। बिंदायका इलाके में एक बंगले (विला) से 45 लाख रुपए के गहने चोरी का मामला सामने आया है। आवश्यक कार्य के चलते परिवार दिल्ली गया हुआ था। मेन गेट का लॉक तोड़कर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बिंदायका थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए है। पुलिस वारदात स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि अक्षत मिडोज सिरसी रोड स्थित प्रकाश भरुटिंया (59) ने मामला दर्ज करवाया कि वह अपने विला में पत्नी के साथ रहते हैं। 9 फरवरी रात करीब 12.30 बजे पति-पत्नी दोनों दिल्ली चले गए। शनिवार देर रात चोरों ने सूने विला के मेन गेट का लॉक तोड़कर बैडरुम की अलमारी से 45 लाख रुपए के गहने और 20 हजार रुपए पार कर लिए।

1.34 करोड़ रुपए के सोने के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर दो यात्री दबोचे

- आरोपियों ने रेक्टम में छिपा रखा था दो किलो 90 ग्राम सोना, कस्टम टीम ने डॉक्टर्स की मदद से बाहर निकाला

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने 2 किलो 90 ग्राम सोने का पेस्ट जब्त कर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सोने की बाजार कीमत 1 करोड 34 लाख रुपये आंकी गई है। दोनों यात्री राजस्थान के रहने वाले हैं। जो जयपुर में सोने की सप्लाई देकर दिल्ली से दूसरी फ्लाइट के जरिए फिर से मस्कट जाने वाले थे। कस्टम टीम ने दोनों को जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पकड़ लिया गया।

जानकारी के अनुसार यात्री रेक्टम (गुदा द्वार) के अंदर लिक्विड फॉर्म में कैप्सूल के अंदर भरकर सोने की तस्करी कर रहे थे। कस्टम की टीम आरोपियो से पूछताछ कर रही है। साथ ही सोना तस्करों के नेटवर्क के संबंध में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तस्करी का सोना कहां पर पहुंचाया जाना था और कौन-कौन से लोग इसमें शामिल हैं। कस्टम विभाग कमिश्नर सुग्रीव मीणा ने बताया कि इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी की सोमवार देर रात मस्कट से आने वाली फ्लाइट ओवी 795 से दो यात्री जयपुर में उतरने वाले है। इनके पास बड़ी मात्रा में सोना हो सकता हैं। इस पर कस्टम की सभी टीमें रात को एक्टिव हो गइ। रात डेढ बजे दोनों यात्रियों को एयरपोर्ट पर जांच के दौरान रोका। उन्हें कस्टम ऑफिस में ले जाकर पूछताछ की गई और पूछताछ करने पर यात्री संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। दोनों ने सोना होने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों के सामान की जांच की गई। दोनों के सामान से सोना बरामद नहीं हुआ। दोनों तस्करों से गहनता से पूछताछ की गई। दोनों ने प्राइवेट पार्ट (रेक्टम) में सोना होने की बात स्वीकारी। संदिग्ध लगने पर अधिकारियों ने यात्रियों का मेडिकल चेकअप करवाया। मेडिकल जांच में यात्रियों के रेक्टम में कैप्सूल निकले। इसके बाद दोनों ने अपने रेक्टम से 2 किलो 90 ग्राम सोना निकाला। इसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 33 लाख 84 हजार रुपए है।

एक तस्कर के रेक्टम से 1045 ग्राम सोना निकला। इसकी बाजार कीमत 66.98 लाख है।

वहीं दूसरे तस्कर के रेक्टम से 1043 ग्राम सोना निकला। इसकी बाजार कीमत 66.85 लाख रुपए है। कस्टम विभाग की टीम ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत तस्करी के सोने को जब्त कर लिया है। दोनों तस्करों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।

बोहरा ने रिंग रोड फेज़-2 के लिए आभार जताया

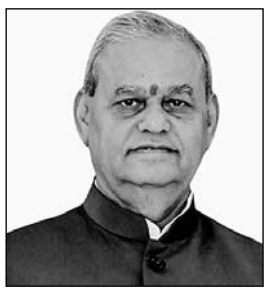

जयपुर, (का.सं.)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर के रिंग रोड फेज 2 की स्वीकृति की घोषणा कर दी है। इसके लिए जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

सांसद बोहरा लंबे समय से रिंग रोड के दूसरे फेज़ के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे थे। सांसद बोहरा ने रिंग रोड फेज 2 की मांग को लोकसभा में भी उठाया था। हाल ही में सांसद बोहरा ने दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात कर जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग तक पूर्व में स्वीकृत उत्तरी रिंग रोड का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने एवं अजमेर रोड से दिल्ली रोड तक प्रस्तावित रिंग रोड को भी स्वीकृति प्रदान करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रिंग रोड फेज-2 को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही सांसद बोहरा के प्रयास सफल हुए।

सार-समाचार

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

जयपुर । आर.टी.ओ. इन्सपेक्टर दिनेश सिंह ने मंगलवार को बियानी कॉलेज में बच्चियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने इएचसीसी हॉस्पिटल के डॉ. सौरभ यादव और उनकी टीम के साथ मिलकर "बेसिक लाइफ सपोर्ट" को समझाते हुए सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी। दरअसल "रोड सेफ्टी मंथ" के तहत जागरूकता के लिए कई गतिविधियां आयोजित गई। इसी कड़ी में बियानी लॉ कॉलेज में रोड सेफ्टी ओरिएंटेशन एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से अश्विनी बग्गा ने आईएसआई मार्क वाले ही हेलमेट पहनने तथा सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवर स्पीडिंग पर काम करने तथा अमल करने के लिए कहा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 में गुड समरिटन का जिक्र करते हुए आर.टी.ओ. दिनेश सिंह ने कहा कि पीड़ित की सहायता करने वालों को तकलीफ देने की बजाय सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र और धन राशि देकर संम्मानित भी किया जायगा। इस दौरान रवि दत्त ड्राइविंग के सही तरीकों को अपनाने के लिए तथा सडक सुरक्षा नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया।

तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली

जयपुर । राजधानी के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सहित सभी कर्मियों ने मंगलवार को एक साथ तंबाकू एवं अन्य धूम्रपान उत्पादों का सेवन न करने की शपथ ली। एसएमएस अस्पताल के तंबाकू नियंण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं ईएनटी विभाग के आचार्य डॉ.पवन सिंघल ने बताया कि एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ.राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत सभी विभागों, अस्पताल के कार्मिक, प्रशासकों, नर्सिंग कर्मी, चिकित्सकों विद्यार्थियों ने एक साथ तंबाकू का किसी भी रूप में उपभोग नहीं करने की शपथ ली। शपथ के बाद सभी विभागों ने छाया चित्र भी भेजे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के चिकित्सा संस्थानों को भारत सरकार के स्तर से निर्धारित किये गए नौ इंडिकेटर के अनुसार तंबाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रथम चरण में मेडिकल कॉलेज परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

'शिक्षा विभाग के तबादले भी खोले जाएं'

जयपुर । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य स्थानांतरण खोले जाने का स्वागत किया है, लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के स्थानांतरण भी खोलने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंत्रालय यिक कर्मचारी अपने गृह जिलों से 400- 500 किलोमीटर दूर तक लंबे समय से पदस्थापित है तथा स्थानांतरण खुलने पर उन्होंने उम्मीद जगी थी कि वह अपने गृह जिले में पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं परंतु शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ-साथ मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगाने से कर्मचारियों में भारी हताशा और आक्रोश व्याप्त है। मंत्रालयिक कर्मचारियों का शैक्षिणक कार्य में कोई योगदान नहीं होता है । ऐसे में शैक्षिणक गतिविधियों के नाम पर उनका स्थानांतरण रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। महासंघ सरकार से मांग करता है की शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए।

यू.डी.एच. प्रमुख सचिव ने की अफसरों की खिंचाई

जयपुर । नगरीय विकास विभाग (यू.डी.एच.) के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने बिल्डिंग परमिशन, नाम ट्रांसफर, ट्रेड लाइंस और फायर एन.ओ.सी. के सभी मामले एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंगलवार को सभी निकायों के आयुक्त और अधिशाषी अधिकारियों की वीडियो कॉफ्रेंस पर जमकर खिंचाई की। टैक्स वसूली में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए तय लक्ष्य के मुताबिक राजस्व वसूलने के निर्देश दिए। निकाय क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण की मॉनिटरिंग जी.पी.एस. के जरिये करने को कहा।

टी. रविकांत ने भवनों के सब-डिविजन और री-कॉन्स्टीट्यूशन के मामलों का तेजी से परीक्षण कर निस्तारित करने के लिए कहा। उन्होंने प्रोपर्टी टैक्स संग्रह निर्धारित नोर्म्स के अनुसार नहीं होने को गंभीरता से लिया तथा उन्होंने कि यू.डी. टैक्स वसूली निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक करने को कहा। साथ ही टैक्स के दायरे में आने वाली सभी सम्पत्तियों का सर्वे करने के लिए कहा, ताकि निकायों को भारत सरकार से अनुदान में कटौति नहीं हो। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्तियों, अदालती प्रकरण शीघ्र निस्तारण करने के लिए प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने को कहा।

पावर ऑफ अर्टोनी का दुरूपयोग कर कंपनी साझेदार बजरंगलाल ने 227 दुकानें हड़पी : राजेन्द्र खंडेलवाल

अजमेर के श्रीजी टॉकीज़ की जमीन खरीदकर चार पार्टनर्स ने 'श्रीजी ट्रेड सेंटर' में बनाई थी 355 दुकानें

-कार्यालय संवाददाता-

- राजेन्द्र का आरोप है कि बजरंगलाल ने अपनी पत्नी, भतीजी व अन्य रिश्तेदारों को यह 227 दुकानें औने-पौने दामों में बेची और पैसा कंपनी के खाते में जमा ही नहीं कराया
- इस मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय ने राज्य सरकार, साझेदार बजरंगलाल, उसकी पत्नी कृष्णा देवी, जुगुनू गर्ग, अनुपम गर्ग, सीताराम गर्ग, भगवती गर्ग और प्रहलाद गर्ग को नोटिस जारी किया है।

जयपुर । अजमेर के श्रीजी टॉकीज़ की जमीन पर 4 साझेदारों ने करोड़ों रुपये लगाकर 355 दुकानों का "श्री जी ट्रेड सेंटर" कॉम्प्लेक्स बनाया। इनमें से एक साझेदार बजरंग लाल अग्रवाल ने पावर ऑफ अर्टोनी का गलत इस्तेमाल करते हुए 227 दुकानें अपनी पत्नी, भतीजी व अन्य रिश्तेदारों को औने-पौने दामों पर बेचकर रकम हड़प ली। मामला पिछले 10 सालों से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और पुलिस के बीच फंसा हुआ है, लेकिन अन्य साझेदारों को कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है। इस मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय ने अब राज्य सरकार, साझेदार बजरंगलाल, उसकी पत्नी कृष्णा देवी, जुगुनू गर्ग, अनुपम गर्ग, सीताराम गर्ग, भगवती गर्ग और प्रहलाद गर्ग को नोटिस जारी किया है। यह जानकारी कंपनी के साझेदार एवं पीड़ित राजेन्द्र खंडेलवाल ने दी है।

राजेन्द्र खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने बजरंगलाल अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल और मदनलाल गुप्ता के साथ मिलकर "कमलकुंज डवलपर्स प्रा. लि." कंपनी बनाई थी। जिसका पंजीकृत कार्यालय बजरंगलाल के निवास स्थान सी-10, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क था। इस कंपनी में चारों पार्टनर (साझेदार) बराबर के शेयरहोल्डर व निदेशक थे। चारों साझेदारों ने 23 जून 2006 को अजमेर में मेताज प्रा. सेक्युलर ट्रस्ट की जमीन "श्रीजी टॉकीज" को 3.33 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके बाद 17 जनवरी 2007 को सभी साझेदारों ने बजरंगलाल को 'पॉवर ऑफ अर्टोनी' इसलिए दी थी कि वह जमीन की रजिस्ट्री करवा सके। इस भूमि की रजिस्ट्री कंपनी के नाम से 29 मार्च 2010 को करवाई गई। श्रीजी टॉकीज़ की इस भूमि पर चारों पार्टनर्स ने डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये लगाकर 355 दुकानों का "श्रीजी ट्रेड सेंटर" कॉम्प्लेक्स बनाया। जैसे ही यह मॉल बनकर तैयार हुआ तो बजरंगलाल ने पावर ऑफ अर्टोनी का गलत इस्तेमाल करते हुए कंपनी की 227 दुकानें अपनी पत्नी, भतीजी और अन्य रिश्तेदारों को औने-पौने दामों में बेच दी और रकम भी कंपनी के खाते में जमा करवाने के बजाय स्वयं ही हड़प ली। इसके साथ ही कंपनी के बैंक खाते से भी 64.05 लाख रुपये निकाल लिए।

राजेन्द्र खंडेलवाल का आरोप है कि, बजरंगलाल ने अपनी पत्नी कृष्णा अग्रवाल को ग्राउंड फ्लोर पर 3 तथा पांचवी मंजिल पर 52 दुकाने और छठवीं मंजिल पर 802.44 वर्गगज जमीन मात्र 1.01 करोड़ रुपये में बेच दी, जबकि इतनी दुकानों की डी.एल.सी. रेट ही करीब 1.93 करोड़ रुपये थी। कृष्णा ने यह रकम भी कंपनी के खाते में देने के बजाय अपने पति बजरंगलाल की कंपनी में बकाया 1.12 करोड़ रुपये से समायोजित कर ली।

राजेन्द्र ने बताया कि, बजरंगलाल ने इसी तरह अपनी भतीजी जुगनू गर्ग को 82 दुकानें 3.33 करोड़ में बेची, जबकि इन दुकानों की डी.एल.सी. रेट ही 6.19 करोड़ रु. थी, इसका जिक्र भी रजिस्ट्रियों में किया गया है। यह पैसा भी कंपनी के खाते में जमा नहीं हुआ, बल्कि सीधे बजरंगलाल ने हड़पा। कंपनी का खाता 19 मार्च 2013 को ही डोरमेंट हो चुका था। इसके बाद बजरंगलाल ने 8 दुकानें नकद राशि में बेची तथा ग्राउंड फ्लोर की 7 तथा प्रथम फ्लोर की 27 दुकानें 51 हजार रुपये की प्रति माह की लीज डीड पर 17 अक्टूबर 2013 को अपने पुत्र मुकेश अग्रवाल को किराये पर दे दी। बाद में यह दुकानें जुगनू गर्ग को बेच दी गई। इस प्रकार बजरंगलाल ने कुल 227 दुकानें खुर्द-बुर्द कर करोड़ों रुपये हड़प लिए।

राजेन्द्र खंडेलवाल ने बताया कि फरवरी 2017 में कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय से शेष तीनों पार्टनर्स को नोटिस मिला, जिसमें उनका नाम कंपनी रजिस्टर से हटाने का जिक्र था। इस मामले में पीड़ित साझेदारों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वाद प्रस्तुत किया। साथ ही कोर्ट के जरिए जयपुर के रामगंज थाने में भी मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी इस मामले में यह कहते हुए जांच आगे नहीं बढ़ाई कि, मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित है। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय ने अब राज्य सरकार, साझेदार बजरंगलाल, उसकी पत्नी कृष्णा देवी, जुगुनू गर्ग, अनुपम गर्ग, सीताराम गर्ग, भगवती गर्ग और प्रहलाद गर्ग को नोटिस जारी किया है। यह जानकारी कंपनी के साझेदार एवं पीड़ित राजेन्द्र खंडेलवाल ने दी है।